

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी रुबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
मिसल संख्या :- 83/2022 निर्णय दिनांक :- 25/11/2025

उनवानी दावा:

1. अनुराधा पुत्री छीतर जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोंक राज0।
2. चान्द देवी पत्नि छीतर जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोंक राज0।
3. मीनाक्षी पुत्री छीतर जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोंक राज0।
4. सीमा पुत्री छीतर जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोंक राज0।

-वादीयागण-

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
2. बृजराज पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
3. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
4. हगामी पत्नि स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
5. गायत्री पुत्री स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
6. सुनिता पुत्री स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
7. तहसीलदार देवली, जिला-टोंक राज0

-प्रतिवादीगण-

उपस्थिति :-

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता वादीयागण

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6

वाद विभाजन आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53ए, 209 आर.टी.एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय / अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 17.04.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से क्रमांक :भू0अ0/2025/2333 दिनांक 11.06.2025 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट 2333 दिनांक 11.06.2025 का अवलोकन किया गया।

Ruby

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी रुबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
मिसल संख्या :- 83/2022 निर्णय दिनांक :- 25/11/2025
उनवानी दावा:

1. अनुराधा पुत्री छीतर जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोंक राज0।
2. चान्द देवी पत्नि छीतर जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोंक राज0।
3. मीनाक्षी पुत्री छीतर जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोंक राज0।
4. सीमा पुत्री छीतर जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोंक राज0।

—वादीयागण—

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
2. बृजराज पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
3. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
4. हगामी पत्नि स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
5. गायत्री पुत्री स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
6. सुनिता पुत्री स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोंक राज0।
7. तहसीलदार देवली, जिला-टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता वादीयागण

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6

वाद विभाजन आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53ए, 209 आर.टी.एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 17.04.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से क्रमांक :भू0अ0/2025/2333 दिनांक 11.06.2025 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट 2333 दिनांक 11.06.2025 का अवलोकन किया गया।

Pulley


अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और कथन किया कि मुताबिक हाल कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2073-76 वाके ग्राम हिसामपुर पटवार हल्का हिसामपुर तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 390 रकबा 0.5000 है०, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.7800 है०, कुल किता-2, कुल रकबा 1.2800 है० वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोक राज० मे दर्ज रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम हिसामपुर पटवार हल्का हिसामपुर भू०अ०नि० नासिरदा तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 69 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	अनुराधा, मीनाक्षी, सीमा पुत्रिया चांद देवी पत्नि स्व० छीतर ब्राह्मण सा० देह खातेदार	390/1	0.25	1.00
		433/1	0.39	3.12
	कुल योग	किता 2	0.64	4.12
2	जितेन्द्र, ब्रजराज, राजेन्द्र पुत्र गायत्री देवी, सुनिता देवी पुत्रिया हगामी देवी पत्नि स्व० चतरभुजा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	390/2	0.25	1.00
		433/2	0.39	3.12
	कुल योग	किता 2	0.64	4.12

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 25/11/25 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ 20 रुल्स 6 व 7 जाबदा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम देवली व अलजाम रुबी अंसार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी देवली टोक

1. अनुसूचा पुत्री छीतर जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोक राज0।
2. बान्द देवी धनि छीतर जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोक राज0।
3. बीनारी पुत्री छीतर जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोक राज0।
4. सीमा पुत्री छीतर जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली जिला-टोक राज0।

-वादीयागण-

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोक राज0।
2. राजराज पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोक राज0।
3. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोक राज0।
4. इमली धनि स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोक राज0।
5. बान्द देवी पुत्री स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोक राज0।
6. सुनिता पुत्री स्व. श्री चतुर भुजा जाति ब्राह्मण निवासी रघुनाथपुरा हिसामपुर तहसील देवली, जिला-टोक राज0।
7. तहसीलदार देवली, जिला-टोक राज0

-प्रतिवादीगण-

स्थिति -

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता वादीयागण

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6

वाद विभाजन आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53ए, 209 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 83 सन् 2023

एह मुकदमा आज वास्तु इन्किसाल कतई रुबरु मुज रुबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रुबरु एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिना जाता है व एकपक्षीय अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

आदेश

जमाबंदी सम्वत् 2073-76 वाके ग्राम हिसामपुर पटवार हल्का हिसामपुर तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 390 रकबा 0.5000 है0 खसरा नम्बर 433 रकबा 0.7800 है0 कुल किता-2, कुल रकबा 1.2800 है0

Ruler

ख्या:- 83/2022 उनवान अनुराधा बनाम राजेन्द्र वगै,
दिनांक:- 25/11/2025

वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोक राज0 मे दर्ज रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम हिसामपुर पटवार हल्का हिसामपुर भू0अ0नि0 नासिरदा तहसील देवली के आराजीयात खाता संख्या 69 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	अनुराधा, मीनाक्षी, सीमा पुत्रिया चांद देवी पत्नि स्व0 छीतर ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	390/1	0.25	1.00
		433/1	0.39	3.12
	कुल योग	किता 2	0.64	4.12
2	जितेन्द्र, ब्रजराज, राजेन्द्र पुत्र गायत्री देवी, सुनिता देवी पुत्रिया हगामी देवी पत्नि स्व0 चतरभुजा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	390/2	0.25	1.00
		433/2	0.39	3.12
	कुल योग	किता 2	0.64	4.12

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी
सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह // सन् 2025
को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त
ओहदा
उपस्थण्ड अधिकारी
देवली (टोक)

मुददई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।